SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1898

In the court of **सुश्री आकांक्षा गर्ग**
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सनावद
जिला पश्चिम निमाड़ मंडलेश्वर

Case No of 20

Complaint or report made on...29.5.26... Name ane address of the complainant.

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैड़िया विरूद्ध

Name, parentage, caste and address of accused

कन्हैया पिता लोभीराम जाति निहाल उम्र – 50 वर्ष निवासी

01— ग्राम जिरभार

The offence complainand of and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 29/5/2026 को समय 6/50 बजे स्थान— आरोपी के घर साईड मे ग्राम जिरभार —— लोक स्थान पर अपने अधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब 20 ——लीटर शराब रखी।

आपका उक्त कृत्य धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है। अतः आप अपराध स्वीकारना चाहते हो या विचारण चाहते हो।

सुश्री आकाक्षा गर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

The plea of the accused and his examination (if any)-

आरोपी का अभिवाक् ।

आरोप स्वीकार है।

कन्हैया

सुश्री आकाक्षा गर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

न्यायालयः—सुश्री आकाक्षा गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक SUM/ 421 /2026

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैड़िया
जिला खरगोन (म0प्र0)

————————अभियोजन

विरूद्ध

~~कन्हैया पिता लोभीराम जाति भिलाल~~
~~उम्र - 50 वर्ष निवासी ग्राम जिरभार~~

————————अभियुक्त

—:निर्णयः—

(आज दिनांक 2.7.2026 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत् राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैड़िया की ओर से अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

2. अभियुक्त के विरूद्ध निर्धारित प्रपत्र पर अपराध का अपराध विवरण आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का तैयार कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध धारा में उसकी स्वीकारोक्ती के आधार पर दोषी ठहराया जाता है ।

3. अभियुक्त का यह प्रथम अपराध होना और पूर्व दोष सिद्धी होना अभिलेख पर नहीं है।

4. अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है और अभियुक्त द्वारा अपराध करना भी स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध में न्यायालय समय समाप्त होने तक के कारावास एवं रूपये 2000/- अक्षरी (अक्षरी रूपये दो हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड जमा न किये जाने के व्यतिक्रम में उसे 15 दिवस/माह के साधारण कारावास भुगताया जाये।

5. प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जाये। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सुश्री आकाक्षा गर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

मेरे उद्‌बोधन पर टाईप किया।

सुश्री आकाक्षा गर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)